RNI No. RAJHIN/2014/58645
डाक पंजीयन सं. JAIPUR CITY/ 280/2015-17
e-paper.www.srushtiagronews.com

Posted at Jaipur Dated of Posting
4th to 5th for (1st to 15th issue)
18th to 19th for (16th to 30th issue)

ग्रामीण विकास का सम्पूर्ण पाक्षिक समाचार पत्र

सृष्टि एग्रो

वर्ष - 02 अंक - 03 जयपुर, 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2015 मूल्य - 2 रुपए पृष्ठ - 8

ओलावृष्टि पीड़ित किसानों के लिए खोला राहत का पिटारा, तीन राज्यों में खरीद के मानदंड में दी ढील

राजस्थान के चमकहीन गेहूं को खरीदेगी सरकार

नई दिल्ली (भाषा)। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित गेहूं किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं खरीद के गुणवत्ता मानदंड में ढील दी है तथा वह अनाज के नमूनों को जांचने के बाद बाकी राज्यों में भी इस मानदंड में ढील देगी। फरवरी के अंत से देखी जा रही बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से करीब 14 राज्यों में करीब 113 लाख हेक्टेयर में रबी जाड़े में बोई जाने वाली फसल को नुकसान हुआ है।

रबी सत्र में खेती योग्य कुल भूमि 600 लाख हेक्टेयर थी और गेहूं एक प्रमुख रबी फसल है। इस फैसले की घोषणा करते हुए खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों की हानि और बर्बादी को लेकर संवेदनशील है। इसलिए राज्यों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर गेहूं खरीद के मानदंड में ढील दी गई है। इस सप्ताह के आरंभ में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खाद्यान्नों की खरीद के मानदंडों में ढील देने की मांग करते हुए पासवान को पत्र लिखा था।

राम विलास पासवान ने यह भी कहा कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य से पत्र मिले हैं जिसमें नमी की मात्रा के बारे में भी ढील देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार हम अनाज में 14 प्रतिशत मानदंडों में ढील देने की मांग करते हुए पासवान को पत्र लिखा था। राम विलास पासवान ने यह भी कहा कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य से पत्र मिले हैं जिसमें नमी की मात्रा के बारे में भी ढील देने की मांग की गई है।

उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार हम अनाज में 14 प्रतिशत तक नमी मात्रा की अनुमति देते हैं। इस मात्रा से अधिक नमी होने पर वह खपत के अनुकूल नहीं रह जाता। पासवान ने कहा कि गुणवत्ता मानदंड का संबंध चमक खो चुके अनाज से है तथा तीन राज्यों में सूखे और टूटे अनाजों के संदर्भ में ढील दी गई है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि जो गेहूं लोगों की खपत के लिए ठीक नहीं है, सरकार उस गेहूं की खरीद नहीं कर सकती क्योंकि इस अनाज का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में वितरण के लिए किया जाता है। ढील दिये गये मानदंड के अनुसार केन्द्र ने चमक खो चुके गेहूं के संदर्भ में गुजरात में 25 प्रतिशत तक, मध्य प्रदेश में 40 प्रतिशत तक और राजस्थान में 50 प्रतिशत तक चमकहीन गेहूं की खरीद की जा सकती है। पासवान ने कहा कि केन्द्र सरकार बाकी राज्यों के लिए भी खरीद मानदंड में ढील देने के बारे में विचार करने को तैयार है।

रंग लाए सीएम राजे के प्रयास

आपदा प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए किए गए मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों के बाद केंद्र की तीन टीमें गुरुवार से शनिवार तक प्रदेश में ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेंगी।

केंद्र की पहली टीम बूंदी और कोटा, दूसरी भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ तथा तीसरी टीम अजमेर एवं टोंक जिलों में ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी।

उल्लेखनीय है कि मार्च महीने में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह एवं केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री बाबू भाई कुण्डारिया प्रदेश का दौरा कर हालात का जायजा ले चुके हैं।

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने प्रदेश में हुई भयंकर ओलावृष्टि के बाद प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 31 मार्च को एक विस्तृत ज्ञापन केन्द्र सरकार को भेजा था। इससे पहले राजे ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि किसानों को राहत देने के लिए एसडीआरएफ नियमों में संशोधन एवं शिथिलता प्रदान कर किसानों को दी जाने वाली राहत में वृद्धि की जाए।